भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1369
बुधवार, 03 जुलाई, 2019/12 आषाढ़, 1941 (शक)

रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य

1369. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अगले तीन वर्षों में रोजगार सृजन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
(ख) इसमें से गैर-सरकारी, सरकारी और असंगठित क्षेत्रों का लक्ष्य क्या-क्या होगा;
(ग) योजना के चार वर्षों के दौरान तीनों क्षेत्रों में कुल कितने रोजगार का सृजन हुआ और अगले तीन वर्षों का तत्संबंधी अनुमान क्या है;
(घ) वैश्विक मंदी के परिणाम से रोजगार में कुल कितनी गिरावट आई है;
(ङ) इन बेरोजगारों के पुनर्वास के लिए क्या योजना है; और
(च) क्या यह सच है कि रोजगार की मांग और आपूर्ति में असंतुलन है तथा इसमें सुधार लाने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर प्रमुख क्षेत्रों का अनुमानित कार्यबल नीचे दिया गया हैः

	प्रमुख क्षेत्रों का अनुमानित कार्यबल		
क्षेत्र	2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	2017-18* (पीएलएफएस)
प्राथमिक	53.15%	48.9%	44.1%
द्वितीयक	21.48%	24.3%	24.8%
तृतीयक	25.37%	26.8%	31.1%

(टिप्पणीः *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	323362	407840	387184	586728 (31.03.2019)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (मानव-दिवस करोड़ में)	235.14	235.64	233.74	267.90 (31.03.2019)
प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी (डीडीयू-जीकेवाई) (व्यक्तियों की संख्या)	109512	147883	75787	135809
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दी गई नियुक्ति डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	33664	151901	115416	163377

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 26 जून, 2019 तक, 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद हो जाने/पुनर्गठन होने के कारण वीआरएस/वीएसएस अथवा छटनी के तहत पृथक् हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों (अथवा आश्रितों) को स्व/वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य स्व/वेतन रोजगार हेतु लाभार्थियों को सुसज्जित करने के लिए अल्पावधि के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। सीआरआर योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

*****